संख्या– 748 /माध्यमिक/2003

प्रेषक,

जे०पी० जोशी,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र–2
समुदाय केन्द्र,प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनॉक 01.12.2003 ~~नवम्बर~~,2003

विषयः– विजन वैली स्कूल,काशीपुर(उद्यमसिंहनगर) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण –पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विजन वैली स्कूल,काशीपुर(उद्यमसिंहनगर) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित/अनुसूचित जन जाति के बच्चों के लिये सुरति रहेगें और उनसे उत्तरांचल शासन,देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा रारज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

5– संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

क्रमशः–2–

6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरुप सेवा निवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन केबिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(जे० पी० जोशी)
अनु सचिव।

संख्या- 748 (1)/माध्यमिक/2003 तद्दिनॉक: 01.12.2003

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
(2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
(3) जिला शिक्षा अधिकारी, उद्यमसिंहनगर।
(4) प्रबन्धक, विजन वैली स्कूल, काशीपुर(उद्यमसिंहनगर)
(5) अनुभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जे० पी० जोशी)
अनु सचिव।